हूडा, नगर निगम, स्मार्ट सिटी कम्पनी, एफ़एमडीए, एचएसआईआईडीसी

शहर को लूटने में ये पांच सरकारी एजेंसियां जुटी हैं

फ़रीदाबाद (म.मो.) शहरीकरण एवं विकास कार्यों के लिये इस शहर में नगर निगम व 'हूडा' नामक दो एजेंसियां ही सक्रिय रही हैं। 'हूडा' का मुख्य कार्य शहरों की ओर बढ़ते जनसैलाब को सही ढंग से बसाने का दायित्व सौंपा गया है। इसके लिये 'हूडा' ने सेक्टरों का निर्माण करके लोगों को प्लॉट बेचने का कार्य किया। कहने को तो 'हूडा' बिना किसी लाभ-हानि के यह सेवा उपलब्ध कराता है, परन्तु वास्तव में यहां व्याप्त भ्रष्टाचार ने प्लॉट खरीदने वालों को अच्छे से निचोड़ रखा है।

'हूडा' द्वारा बसाये गये सेक्टरों की देख-रेख तथा तमाम नागरिक सुविधायें प्रदान करने का कार्य कुछ वर्षों के बाद नगर-निगम को सौंप दिया जाता है। नगर निगम पुराने शहर के साथ-साथ नये बसे सेक्टरों में भी अपनी सेवाओं का विस्तार करने लगता है। परन्तु ये सेवायें पूरे शहर भर में इस कदर लचर हैं कि सड़कों पर सीवेज बह रहा है, पेयजल उपलब्ध नहीं, सड़क कोई साबुत नहीं और गंदगी के ढेर जगह-जगह सड़ते देखे जा सकते हैं। एक सड़क बनाते हैं तब तक दूसरी टूट चुकी होती हैं। सड़क बनाने व टूटने का यह सिलसिला लगातार चलता ही रहता है। कमाल तो अब ये भी होने लगा है कि धरती की बजाय फ़ाइलों में ही काम निपटा कर पैसा डकारने लगे हैं।

अब इतनी अंधी लूट किसी एक महकमे के चंद अफसर करते रहें तो राज्य के बाकी अफ़सर बेचारे क्या करेंगे, आखिर उन्हें भी तो इस लूट में से कुछ न कुछ मिलना चाहिये। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए खट्टर सरकार ने यहां पर स्मार्ट सिटी कंपनी लिमिटेड खड़ी कर दी है।

इस कंपनी के द्वारा 2600 करोड़ रुपये से अधिक ठिकाने लगा दिये गये हैं। इन्हीं पैसों से अफ़सरों ने विदेश यात्रायें तक भी कर डाली। काम करने के नाम पर लाखों रुपये मासिक किराये पर दफ्तर तथा आवास ले लिये गये हैं। स्टाफ़ में अधिकांश लोग वही रखे गये जो पहले से ही नगर निगम फ़रीदाबाद व गुड़गांव में मोटी डकैतियां मारने का अनुभव रखते हैं। उक्त रकम खर्च करके

डॉ. कमल गुप्ता, शहरी विकास मंत्री

इस कम्पनी ने शहर का जो सत्यानाश किया है वह जनता के सामने है।

इससे भी जब तसल्ली नहीं हुई तो खट्टर सरकार ने फ़रीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण नाम से एक ओर महकमा खड़ा कर दिया। प्रथम दृष्ट्या देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि 'हूडा', नगर निगम व स्मार्ट सिटी कम्पनी, यानी इन सबको खत्म करके शहर के लिये एक ही प्राधिकरण बना दिया जाये। ऐसा इसलिये भी जरूरी लगता है कि उक्त तमाम एजेंसियों के तालमेल में कमी के चलते विकास कम और विनाश अधिक होने का भय बना रहता है।

लेकिन यहां विकास तो मुद्दा ही नहीं है, करना तो विनाश ही है। इस विनाश के लिये बिना किसी ताल-मेल के इन तमाम एजेंसियों को जुटा दिया गया है। मात्र 1760 किलो मीटर लम्बी सड़कें व लगभग इतनी ही लम्बी सीवर लाइनों की देख-रेख के लिये अकेले नगर निगम में 100 से अधिक छोटे-बड़े इंजीनियर हैं, भले ही उन्होंने कभी इंजीनियरिंग कॉलेज की शक्ल भी न देखी हो पर कहलाते तो एक्सियन, एसई व चीफ़ इंजीनियर हैं। इसी तरह उक्त तमाम एजेंसियों में भी अनेकों इंजीनियर भरे पड़े हैं। इन तमाम एजेंसियों के ऊपर कम से कम एक आईएएस अफ़सर का खर्चा भी यहां के नागरिक झेल रहें हैं। काम के बंटवारे को लेकर भी इन एजेंसियों में अच्छी-खासी खींच-तान चलती रहती है। काम तो बेशक प्रत्येक एजेंसी के लिये ठेकेदारों ने ही करना होता है लेकिन कमीशन तो उसी एजेंसी को जायेगा जो पेमेंट करेगी।

एचएसआईआईडीसी (हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रीयल एन्ड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन) को भी यहां मोटी लूट कमाई के लिये स्थापित कर दिया गया है। यद्यपि यह एजेंसी पहले से ही अच्छा-खासा मोटा माल मार रही थी, उसके बावजूद इसे 'हूडा' का औद्योगिक काम भी दे दिया गया है। इस काम के मिलने से तो इस एजेंसी के वारे ही न्यारे हो गये। यह एक तरह से 'हूडा' के मुंह से निवाला छीनकर इसे दिया गया है। अब यह 'हूडा' के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी सड़क व सीवर आदि निर्माण के टेंडर जारी कर सकेंगे।

यदि किसी सरकार को जनता के हितों से जरा भी लगाव होता तो इन सब एजेंसियों के स्थान पर केवल एक एजेंसी और उसमें चंद असली इंजीनियर रख कर शहर का विकास भली-भाति किया जा सकता था।

अवैध कब्जे व निर्माण निगम अफ़सरों की लूट कमाई का बड़ा स्रोत

फ़रीदाबाद (म.मो.) सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे व अवैध निर्माण नगर निगम के छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक की लूट कमाई का एक बड़ा स्रोत है। भीतरी जानकारी रखने वाले सूत्र बताते हैं कि इस तरह के हो रहे निर्माणों में कहीं निगम पार्षद तो कहीं निगमकर्मी का बेनामी हिस्सा-पत्ति रहती है। शहर की बिल्डर लॉबी बड़े ही संगठित तरीके से निगमकर्मियों के साथ मिल-जुल कर अवैध निर्माण का धंधा चलाती है।

बड़े भारी खर्चे पर पाल-पोस कर रखा गया तोड़-फ़ोड़ दस्ता वास्तव में तोड़-फ़ोड़ के लिये नहीं केवल सम्बन्धित लोगों को नगर निगम की शक्तियों का अहसास कराने के लिये रखा गया है, इसमें पुलिस की फ़जीहत मुफ़्त में ही हो जाती है। शहर भर में शायद ही कोई ऐसा निर्माण हो जिसे इस दस्ते ने तोड़ने का नाट्क किया हो और वह आज भी पूरी तरह से सही-सलामत बन कर आबाद न हो गया हो। तोड़-फोड़ के नाम पर इमारत का छोटा-मोटा हिस्सा तोड़ दिया जाता है जो मुरम्मत के बाद एकदम ठीक हो जाता है। इस जरा से नुक्शान से बिल्डर को बचाने के लिये 'सीलिंग' का नया फ़ंडा शुरू कर दिया गया है। लेकिन यह फंडा केवल उन्हीं पर लागू होता है जिन पर निगम अफ़सर ज्यादा ही मेहरबान हों। सील लगने का तो पता लगता है, लेकिन कब और कैसे खुल गई पता ही नहीं चलता।

बीते तीन सप्ताह में एनएच दो-तीन में कुछ पांच मंजिला नवनिर्मित एवं निर्माणाधीन इमारतों की तोड़-फ़ोड़ का नाट्क किया गया था, जिनका विवरण गतांकों में दिया जा चुका है। इन्हीं में से

एक-दो को सील भी कर दिया गया था तथा एक इमारत का नक्शा पास हुआ बताकर, पूरी तरह से छोड़ दिया गया।

इस सारे खेल में सबसे ज्यादा जोखिम उस व्यक्ति का होता है जो अपने रहने के लिये उस अवैध इमारत को खरीदता है, क्योंकि अवैध तो हमेशा अवैध ही रहेगा जिसे कभी भी कोई अधिकारी आकर तोड़ सकता है अथवा तोड़ने की धमकी दे सकता है। ऐसे में भुगतना तो उस खरीदार को ही परता है जिसने अंजाने में उसे खारीद लिया होता है। बिल्डर तो अपना मुनाफ़ा लेकर पार हो जाता है।

फुटपाथों पर कब्जे बरकरार हैं

बीते करीब सात-आठ माह से निगमायुक्त जशपाल यादव बड़े जोर-शोर से तड़क-फड़क रहे थे। स्वयं बाजारों में घूम-घूम कर दुकानों के आगे से सामान उठवा कर सड़कों को चलने लायक बनाने का दावा कर रहे थे। जब कभी वे नींद से जागते हैं अथवा अपनी शक्ति का अहसास करवाना होता है तो वे एक झटके में हल्ला बोल कर सामान उठवा देते हैं। लेकिन अगले ही दिन से यथा स्थिति पुन: बहाल हो जाती है। एनएच दो की मुख्य सड़क पर एक दिन के लिये भी कभी झटका नहीं लगता। यहां दसियों छोटी-छोटी दुकानों में बैठे दुपहिया वाहन विक्रेताओं ने दस-दस फ़ीट सड़क घेर कर अपने वाहन ऐसे खड़े कर रखे हैं जैसे शो-रूम में खड़े हों। लगता है नगर निगम के साथ इनकी कोई बड़ी डील हो रखी है।

काम न करने के अनेकों बहाने तैयार रहते हैं एमसीएफ़ के पास

फ़रीदाबाद (म.मो.) पूरे शहर यहां तक कि पॉश सेक्टरों में सीवर का गंदा पानी उफन-उफन कर सड़कों पर फैल रहा है। फ़रीदाबाद नगर निगम अब रोना रो रहा है कि यूपी सरकार से उन्हें मिर्जा पुर एसटीपी के लिये एनओसी नहीं दे रही है। एसटीपी तक ले जाने वाली सीवेज पाइप लाइन यूपी सरकार की आगरा नहर से होकर गुजरती है। इसके लिये एनओसी लेने के लिये एमसीएफ़ ने दो साल पूर्व यूपी सरकार को पांच करोड़ रुपये देकर इसे प्राप्त भी कर लिया था, लेकिन काम शुरू नहीं किया क्योंकि काम करने की तो इनकी नीयत होती नहीं है।

अब यों ही एमसीएफ़ की नींद खुली और काम शुरू करने का नाटक करने लगे तो यूपी सरकार ने दोबारा एनओसी लेने के लिये कह दिया क्योंकि पुराने एनओसी की मियाद दो साल की थी। इस देश में नगर निगम के हरामखोर एवं रिश्वतखोर अफ़सरों से कोई यह पूछने वाला नहीं है कि एनओसी मिलने के बाद उन्होंने काम को पूरा क्यों नहीं किया, दो साल तक वे क्या करते रहे ?

नगर निगम की ओर से अब कहा जा रहा है कि उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है और यूपी सरकार से अपने पांच करोड़ वापस मांगेंगे। मागने में क्या हर्ज है हर्जे-खर्चे सहित पांच के दस करोड़ भी मांग लें तो क्या हर्ज है ? वे कौन सा इन्हें कुछ दिये बैठे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इसी आगरा नहर पर बीते कुछ वर्षों में जब दसियों नये पुल बन सकते हैं तो इनकी सीवेज पाइप लाइन गुजरने में क्या आफ़त आ रही थी ? आफ़त तो केवल इन हरामखोरों को काम करने में आती है। इतना ही नहीं नगर निगम की कम से कम 6 बड़ी पाइप लाइनें इस नहर को पार कर रही हैं। यदि काम करने की नीयत होती तो उन्हीं पाइप लाइनों के सहारे से काम किया जा सकता था, परन्तु काम तो करना नहीं।

निगम वाले बताते हैं कि उनका उक्त एसटीपी अब पूरी तरह से तैयार है, केवल सीवेज पाइप लाइन से इसे जोड़ना है। दर असल इन्हें करना-धरना कुछ नहीं है, अगले दो-चार साल में जब तक पाइप लाइन आयेगी तब तक एसटीपी की मियाद पूरी हो चुकी होगी। यानी कि प्लांट निर्माता कम्पनी झट से कह देगी कि उसके प्लांट को तो चलना ही इतने समय तक था, आपने नहीं चलाया तो वह क्या करे ? पाइप लाइन में देरी करने के पीछे भी यही करण समझा जा रहा है। जाहिर है इसके बाद या तो नया प्लांट लगेगा अथवा उसके मुरम्मत के मोटे-मोटे टेंडर छुटेंगे।

कुल मिला कर जब तक यह लुटेरी व्यवस्था रहेगी तब तक जनता का पैसा लुटता रहेगा और सीवेज़ गलियों में सड़ता रहेगा।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।